"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2007—श्रावण 5, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

क्रमांक/127/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री दीपक खेर आत्मज श्री एस. वी. खेर टाटीबंध, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नानुसार अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 24-4-2007 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	रोटरी कोस्मो फाउन्डेशन ट्रस्ट, व्यास ट्रेवल्स शॉप नं. 3 बबला काम्पलेक्स, जी. ई. रोड, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	पंजाब एवं सिंध बैंक रायपुर, खाता क्र.-1013, राशि 1000=00
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, बालोद, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 3 जुलाई 2007

प्रारूप-पांच

[नियम 5 (1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी, बालोद, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/3496/प्र.-1/अ.वि.अ./07.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा (2) की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं अमृत लाल पाठक, बालोद, जिला-दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 7-8-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	भारत माता सेवार्थ न्यास-बालोद, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	ट्रस्ट के फण्ड में 31,000/- रुपये सोना-चांदी अथवा बहुमुल्य धातु, बहुमुल्य नगीनों के जेवरात वगैरह.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

अमृत लाल पाठक,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.